



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1231]

No. 1231]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, अक्तूबर 11, 2007/आश्विन 19, 1929

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2007/ASVINA 19, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1737(अ).— केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया था कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार से या केंद्रीय सरकार द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा केवल पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा।

और ऐसे खनिज पदार्थों के पूर्वक्षण और भूकंपी सर्वेक्षणों को करने से, जो खोज सर्वेक्षणों के भाग हैं, पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने से, जैसा पूर्व में किया जाता रहा था, छूट देने का ; राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्यों के

चयन के लिए दी गई विद्या शाखाओं में पात्रता कसौटी में अधिक स्पष्टता लाने के लिए और उस प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना में उपयुक्त संशोधनों को जारी करने का विनिश्चय किया गया है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उपनियम (3) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि जब कभी केंद्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी उद्योग पर या किसी क्षेत्र में किन्हीं प्रक्रियाओं या प्रचालन को चलाने पर, प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित करने चाहिए तो वह ऐसा करने के लिए अपने आशय की सूचना देगी ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंधित करता है कि उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को जब कभी यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, वह उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभियुक्ति दे सकेगी ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों, के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(I) पैरा 3 के उपपैरा (3) और उपपैरा (4) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(3) अध्यक्ष, पर्यावरण नीति या प्रबंध में पर्याप्त अनुभव सहित किसी एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, परिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी के निबंधनों के अनुसार विशेषज्ञ होगा ।

(4) अन्य सदस्य, किसी एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र में परिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी पूरा करने वाला विशेषज्ञ होगा ।”;

(II) पैरा 12 में “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “~~चौबीस~~ मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(III) अनुसूची में,—

(i) मद संख्या 1(क) के सामने, स्तंभ 5 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण : खनिज पदार्थों के पूर्वक्षण को छूट दी गई है परंतु वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई हो ।”;

(ii) मद संख्या 1(ख) के सामने, स्तंभ 5 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

“टिप्पण : ऐसे भूकंपी सर्वेक्षणों, जो खोज सर्वेक्षणों के भाग हैं, को छूट दी गई है परंतु वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई हो ।”;

(iii) मद 7(च) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

“i) नए राष्ट्रीय राजमार्ग ; और

ii) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।”;

(ख) स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

“i) नए राष्ट्रीय राजमार्ग ; और

ii) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।”;

(IV) परिशिष्ट VI में,—

(i) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

“2. पर्यावरणीय निर्धारण समिति (ईएसी) के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे । उस दशा में कि “विशेषज्ञ” की कसौटी को पूरा करने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले वृत्तिकों पर भी विचार किया जा सकेगा :

- पर्यावरण क्वालिटी : पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप, मानिटरी, विश्लेषण और डाटा निर्वचन में विशेषज्ञ ।
 - परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय : परियोजना प्रबंधन या सुसंगत क्षेत्रों में प्रक्रिया या प्रचालन या सुविधा प्रबंधन में विशेषज्ञ ।
 - पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया : पर्यावरणीय समाघात निर्धारणों (ईआईएस) का संचालन और कार्यान्वयन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपीएस) और अन्य प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेषज्ञ और जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भावी तकनीकों और औजारों में विस्तृत विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों ।
 - जोखम निर्धारण ।
 - प्राणी विज्ञान (पेड़-पौधे और जीव-जन्तु प्रबंधन) ।
 - वन और वन्य जीव ।
 - परियोजना आंकलन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र ।
 - लोक प्रशासन या प्रबंधन”;
- (ii) पैरा 4 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/69/2006-आईए. II(I)]

रा. आनंदकुमार, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं० का०आ० 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2007

S.O. 1737(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on or from the dates of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act in accordance with the procedure specified therein;

And whereas it has been decided to exempt the mineral prospecting and seismic surveys which are part of exploratory surveys from seeking environmental clearance as had been done in the past; to bring in more clarity to the eligibility criteria in the disciplines given for selection of Members of the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committee and for that purpose to issue suitable amendments in the said notification;

And whereas clause clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment Protection Rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said Notification, —

- (I) in para 3, for sub-paras (3) and (4), the following paras shall respectively be substituted, namely:-

“(3) The Chairman shall be an expert in terms of the eligibility criteria given in APPENDIX VI in one of the specified fields, with sufficient experience in environmental policy or management.

- (4) The other Member shall be an expert fulfilling the eligibility criteria given in APPENDIX VI in one of the specified fields.”;
- (II) in para 12, for the words “one year”, the words “twenty four months” shall be substituted;
- (III) in the SCHEDULE,-
- (i) against item 1(a), for the entries in column 5, the following entries shall be substituted, namely:-
- “General Condition shall apply.
Note: Mineral prospecting is exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey.”;
- (ii) against item 1(b), for the entries in column 5, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Note: Seismic surveys which are part of Exploration Surveys are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey.”;
- (iii) against item 7(f),-
- (a) in column (3), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “i) New National Highways; and
ii) Expansion of National Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.”;
- (b) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “i) New State Highways; and
ii) Expansion of State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.”;
- (IV) in APPENDIX VI,-
- (i) for para 2, the following para shall be substituted, namely:-
- “2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields or disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of “Experts” are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality:** Experts in measurement, monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality.
- **Sectoral Project Management:** Experts in Project Management or Management of Process or Operations or Facilities in the relevant sectors.
- **Environmental Impact Assessment Process:** Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management Plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process.
- **Risk Assessment**
- **Life Science (Floral and Faunal Management)**
- **Forestry and Wildlife**
- **Environmental Economics with experience in project appraisal**
- **Public Administration or Management”;**

(ii) para 4 shall be omitted.

[F. No. J-11013/69/2006-IA. II(I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.